



## NBFC और डजिटल ऋण प्रथाओं पर CAFRAL की चर्चा

### प्रलिस के लिये:

[भारतीय रजिस्टर बैंक](#), [गैर-बैंकगि वित्तीय कंपनी](#), उन्नत वित्तीय अनुसंधान एवं शक्तिषण केंद्र, [मौद्रकि नीति](#), [कंपनी अधनियम, 1956](#), [जमा बीमा और ऋण गारंटी नगिम](#)

### मेन्स के लिये:

बैंकगि सेक्टर के संबध में महत्त्वपूर्ण चर्चाएँ: NBFC और बैंकों के बीच असमानताएँ

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

### चर्चा में क्यों?

[भारतीय रजिस्टर बैंक \(RBI\)](#) द्वारा स्थापित एक शोध नकियाय सेंटर फॉर एडवांसड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्नगि (CAFRAL) ने [गैर-बैंकगि वित्तीय कंपनियों \(NBFC\)](#) के लिये बैंक वित्तपोषण में बढ़ते जोखमि को रेखांकित करते हुए डजिटल ऋण परदृश्य में संभावति खतरों की पहचान की है।

- CAFRAL ने व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने वाले [नकली/अवैध डजिटल ऋण प्रदाता एप्स](#) के वषिय में भी चेतावनी दी, जो कि इस डेटा के संभावति दुरुपयोग के साथ ही उपयोगकर्त्ताओं के लिये सुरक्षा जोखमि उत्पन्न करते हैं।

### CAFRAL द्वारा उठाई गई प्रमुख चर्चाएँ:

- NBFC क्षेत्र में अन्योन्याशरति जोखमि:**
  - CAFRAL के अनुसार [बैंक ज़्यादातर बड़े NBFC को ऋण देते हैं](#), जिससे NBFC क्षेत्र में [क्रॉस-लेंडगि में वृद्धि हुई है](#)।
    - यह अंतर-नरिभरता और संक्रमण चैनलों का एक नेटवर्क बनाता है जो झटके को बढ़ा सकता है तथा उसे पूरे ससिस्टम में प्रसारति कर सकता है।
    - उदाहरण के लिये वर्ष 2018 में [IL&FS के डफिल्ट](#) होने और जून 2019 में [DHFL के पतन](#) के कारण तरलता संकट की सथति उत्पन्न हुई तथा NBFC के प्रतविशिवास में कमी देखी गई, जिससे उन बैंकों की संपत्तिकी गुणवत्ता एवं लाभप्रदता प्रभावति हुई, जिन्होंने उन्हें ऋण दिया था।
- NBFC पर संकुचनकारी मौद्रकि नीतिका प्रभाव:**
  - CAFRAL ने यह भी पाया कि [संकुचनकारी मौद्रकि नीति](#) के कारण NBFC के पोर्टफोलियो में जोखमि बढ़ जाता है।
  - जब [RBI नीतगित दर](#) को सीमति करता है, तो NBFC को उच्च उधार लागत और कम लाभप्रदता का सामना करना पड़ता है।
    - अपने मार्जनि को बनाए रखने के लिये वे अपने ऋण को असुरक्षति ऋण, सबप्राइम उधारकर्त्ताओं आर्द जैसे जोखमि वाले क्षेत्रों में स्थानांतरति कर देते हैं। वे इक्विटी और म्यूचुअल फंड में नविश कर पूंजी बाज़ार में अपना जोखमि भी बढ़ाते हैं।
    - ये रणनीतियाँ उन्हें उच्च क्रेडिट जोखमि, बाज़ार जोखमि और तरलता जोखमि के संपर्क में लाती हैं, जो उनकी सॉल्वेंसी एवं स्थरिता को प्रभावति कर सकती हैं।
- अवैध ऋण प्रदाता एप्स और फनिटेक प्रभाव के वषिय में चेतावनियाँ:**
  - ये [नकली/अवैध डजिटल ऋण प्रदाता एप्स](#), वैध होने का दिखावा करने और संभावति दुरुपयोग के लिये व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने के वषिय में चेतावनी भी देते हैं।
  - उपयोगकर्त्ता इन एप्स की वैधता को आसानी से सत्यापति नहीं कर सकते हैं। इनके बीच मज़बूत संबध होते हैं तो पारंपरकि बैंकगि को प्रभावति करने वाले [ऑनलाइन ऋण के संभावति नुकसान](#) के वषिय में चर्चाएँ उत्पन्न करते हैं।
    - ये एप अकसर व्यापक व्यक्तिगत जानकारी का अनुरोध करती हैं जिससे [उपभोक्ता की सुरक्षा और गोपनीयता](#) को खतरा होता है, हालाँकि कुछ डेटा वास्तव में आवश्यक हो सकते हैं।
    - भारतीय एंड्रॉइड उपयोगकर्त्ताओं के लिये [80 एप स्टोर्स पर लगभग 1100 ऋण प्रदाता एप्स \(Lending Apps\)](#) की [उपलब्धता](#) के साथ फनिटेक (FinTech) ने उत्पाद वविधिता में वृद्धि की है।

नोट: डिजिटल ऋण पारंपरिक भौतिक दस्तावेजीकरण या व्यक्तिगत बातचीत की आवश्यकता के बिना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या डिजिटल चैनलों के माध्यम से व्यक्तियों या व्यवसायों को ऋण या क्रेडिट प्रदान करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।

## गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC):

### परिचय:

- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) 'कंपनी अधिनियम, 1956' के तहत पंजीकृत एक कंपनी है जो ऋण, प्रतभूतियों में निवेश, पट्टे, बीमा जैसी विभिन्न वित्तीय गतिविधियों में संलग्न होती है।
- इसमें वे संस्थान शामिल नहीं हैं जिनका प्राथमिक व्यवसाय कृषि, उद्योग, वस्तु व्यापार, सेवाएँ या अचल संपत्ति व्यापार के अंतर्गत आता है।

### मानदंड:

- वित्तीय गतिविधि 'प्रमुख व्यवसाय' तब कहलाएगी, जब कंपनी की वित्तीय आस्तियाँ कुल आस्तियों की 50 प्रतिशत से अधिक हो और वित्तीय आस्तियों से होने वाली आय कुल आय के 50 प्रतिशत से अधिक हो।
  - दोनों मानदंडों को पूरा करने वाली कंपनियों को RBI द्वारा NBFC के रूप में पंजीकृत किया जाता है।
  - RBI अधिनियम 1934 के तहत रजिस्टर बैंक को इन NBFC को पंजीकृत करने, नीति निर्धारित करने, नरिदेश जारी करने, नरिक्षण, वनियमन, पर्यवेक्षण और नगिरानी करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं।

नोट: मुख्य रूप से कृषि, उद्योग, वस्तु व्यापार, सेवाओं या रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में लगी कंपनियों को RBI द्वारा वनियमिती नहीं किया जाएगा, भले ही वे कुछ वित्तीय गतिविधियों संचालित करते हों। यह बहुरिक्षण '50-50 परीक्षण' का उपयोग करके नरिधारित किया जाता है।

### RBI के साथ पंजीकरण से छूट:

- भारतीय रजिस्टर बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के अनुसार कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी 25 लाख रुपए नविल स्वाधिकृत नधि के बिना (अप्रैल 1999 से 2 करोड़ रुपए) तथा रजिस्टर बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किये बगैर गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार नहीं कर सकती अथवा जारी नहीं रख सकती है।
- हालाँकि अन्य प्राधिकरणों द्वारा वनियमिती गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कुछ वर्गों जैसे-सेबी से पंजीकृत वेंचर कैपिटल फंड/मर्चेंट बैंकिंग कंपनियों/ स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियों को भारतीय रजिस्टर बैंक से पंजीकरण कराने से छूट दी गई है।

### NBFC और बैंकों में अंतर:

- बैंकों के वपिरीत NBFC को जनता से मांग जमा स्वीकार करने से प्रतबिधित किया जाता है, जो आमतौर पर इस प्रकार की जमा स्वीकार करते हैं जनिहें बिना किसी पूर्व सूचना के मांग पर नकाला जा सकता है।
- बैंकों के वपिरीत NBFC भुगतान और नपिटान प्रणाली का हसिसा नहीं बनते हैं। वे स्वयं आहरति चेक जारी करने में असमर्थ हैं, जो बैंकों द्वारा प्रस्तावति एक मानक प्रथा है।
- बैंकों के वपिरीत नकिषेप बीमा और प्रतयय गारंटी नगिम जैसी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली जमा बीमा सुवधि NBFC के जमाकर्त्ताओं के लिये उपलब्ध नहीं है।
  - बैंक वफिलताओं के मामले में यह बीमा जमाकर्त्ताओं को सुरक्षा प्रदान करता है, कति यह सुरक्षा NBFC जमाकर्त्ताओं को नहीं दी जाती है।

### अनुदान:

- NBFC मुख्य रूप से बाज़ार ऋण-ग्रहण एवं बैंक ऋण के माध्यम से अपने परचालन को वतितपोषति करते हैं।

## आगे की राह

- अंतरसंबंध तथा स्पलिओवर की नगिरानी: RBI तथा अन्य नयामकों को नेटवर्क वश्लेषण, तनाव परीक्षण, प्रारंभिक चेतावनी संकेतक आदि जैसे विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके NBFC एवं बैंकों समेत NBFC क्षेत्र के बीच अंतरसंबंध व स्पलिओवर की नगिरानी को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
  - प्रभावी सूचना साझाकरण तथा संकट प्रबंधन सुनश्चिति करने के लिये उन्हें परस्पर समन्वय एवं सहयोग करने की भी आवश्यकता है।
- जोखमि प्रबंधन तथा प्रशासन: NBFC में संभावति जोखमिों को प्रभावी ढंग से पहचानने, उनका आकलन एवं कम करने के लिये जोखमि प्रबंधन प्रथाओं को सशक्त करना चाहिये।
  - ठोस नरिणय लेने एवं पारदर्शति सुनश्चिति करने के लिये कॉर्पोरेट प्रशासन तथा नयामक नरिक्षण को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- डिजिटल ऋण की नयामक नगिरानी: उपभोक्ता संरक्षण कानूनों एवं डेटा गोपनीयता नयामों का अनुपालन सुनश्चिति करने के लिये डिजिटल ऋण अनुप्रयोगों पर नयामक नगिरानी को सुदृढ़ करना।
  - ऋण प्रदाता एप्स की वैधता तथा प्रामाणकिता को सत्यापति करने के लिये स्पष्ट दशिा-नरिदेश लागू करना।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**??????????:**

**प्रश्न. भारत में गैर-बैंकगि वित्तीय कंपनियों (NBFC) के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2010)**

1. वे सरकर दवारा जारी प्रतभूतयिों के अधगिररण में शरमलि नहीं हो सकती ।
2. वे बचत खरते की तरह मरंग जमा सूवीकरर नहीं कर सकती ।

**उपरयुक्त कथनों में से कौन-सर/से सही है/हैं?**

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और नर ही 2

**उत्तर: (b)**

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/cafral-raises-concerns-over-nbfc-and-digital-lending-practices>

